

¹**[Rule 11 : Separate registration for multiple places of business within a State or a Union territory**

- (1) Any person having multiple places of business within a State or a Union territory, requiring a separate registration for any such place of business under sub-section (2) of section 25 shall be granted separate registration in respect of each such place of business subject to the following conditions, namely:-
- (a) such person has more than one place of business as defined in clause (85) of section 2;
 - (b) such person shall not pay tax under section 10 for any of his places of business if he is paying tax under section 9 for any other place of business;
 - (c) all separately registered places of business of such person shall pay tax under the Act on supply of goods or services or both made to another registered place of business of such person and issue a tax invoice or a bill of supply, as the case may be, for such supply.

1 Rule 11 substituted by Noti. No. 03/2019-Central Tax, dt. 29-01-2019 w.e.f. 01-02-2019. Earlier to substitution it read as under:

"Rule 11 : Separate registration for multiple business verticals within a State or a Union territory

- (1) Any person having multiple business verticals within a State or a Union territory, requiring a separate registration for any of its business verticals under sub-section (2) of section 25 shall be granted separate registration in respect of each of the verticals subject to the following conditions, namely:-
- (a) such person has more than one business vertical as defined in clause (18) of section 2;
 - (b) the business vertical of a taxable person shall not be granted registration to pay tax under section 10 if any one of the other business verticals of the same person is paying tax under section 9;
 - (c) all separately registered business verticals of such person shall pay tax under the Act on supply of goods or services or both made to another registered business vertical of such person and issue a tax invoice for such supply.

Explanation-For the purposes of clause (b), it is hereby clarified that where any business vertical of a registered person that has been granted a separate registration becomes ineligible to pay tax under section 10, all other business verticals of the said person shall become ineligible to pay tax under the said section.

- (2) A registered person eligible to obtain separate registration for business verticals may submit a separate application in **FORM GST REG-01** in respect of each such vertical.
- (3) The provisions of rule 9 and rule 10 relating to the verification and the grant of registration shall, *mutatis mutandis*, apply to an application submitted under this rule."

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Explanation—For the purposes of clause (b), it is hereby clarified that where any place of business of a registered person that has been granted a separate registration becomes ineligible to pay tax under section 10, all other registered places of business of the said person shall become ineligible to pay tax under the said section.

- (2) A registered person opting to obtain separate registration for a place of business shall submit a separate application in **FORM GST REG-01** in respect of such place of business.
- (3) The provisions of rule 9 and rule 10 relating to the verification and the grant of registration shall, *mutatis mutandis*, apply to an application submitted under this rule.]

1[नियम 11 : किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर कारबार के विविध स्थानों के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण

- (1) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर कारबार के विविध स्थानों को रखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को, जिससे धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन उसके किसी ऐसे कारबार के स्थान के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक ऐसे कारबार के संबंध में पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा, अर्थात् :
- (क) ऐसे व्यक्ति के पास धारा (2) के खंड (85) में यथा परिभाषित एक से अधिक कारबार के स्थान हैं;
- (ख) उसके किसी भी कारबार के स्थानों के लिए धारा 10 के अधीन कर संदाय नहीं करने दिया जाएगा, यदि वह किसी अन्य कारबार के स्थान के लिए धारा 9 के अधीन कर का संदाय कर रहा है;
- (ग) ऐसे व्यक्ति के पृथक् रूप से रजिस्ट्रीकृत सभी कारबार के स्थान ऐसे व्यक्ति के दूसरे रजिस्ट्रीकृत कारबार के स्थानों को की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर

1 अधिसूचना क्रमांक 3/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा नियम 11 प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"नियम 11 : किसी राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र के भीतर बहु कारबार शीर्षों के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण

- (1) किसी राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र के भीतर बहु कारबार शीर्ष रखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन उसके कारबार शीर्ष में से किसी कारबार के लिए एक पृथक् रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, प्रत्येक शीर्ष के संबंध में पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा, अर्थात् :
- (क) ऐसे व्यक्ति के पास धारा 2 के खंड (18) में यथा-परिभाषित एक से अधिक कारबार शीर्ष हैं;
- (ख) किसी कराधेय व्यक्ति के कारबार शीर्ष को धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं किया जाएगा, यदि उसी व्यक्ति के अन्य कारबार शीर्षों के कोई एक धारा 9 के अधीन कर संदाय कर रहा है।
- (ग) ऐसे व्यक्ति पृथक् रूप से रजिस्ट्रीकरण सभी कारबार शीर्ष, ऐसे व्यक्ति के दूसरे रजिस्ट्रीकृत कारबार शीर्ष को की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर अधिनियम के अधीन कर का संदाय करेंगे और ऐसी पूर्ति के लिए कर बीजक जारी करेंगे।

स्पष्टीकरण-खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का कोई भी कारबार शीर्ष, जिसे पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उक्त व्यक्ति के अन्य सभी कारबार शीर्ष उक्त धारा के अधीन कर संदाय के लिए अपात्र हो जाएंगे।

- (2) कारबार शीर्षों के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने का पात्र कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रत्येक शीर्ष के संबंध में **प्ररूप जीएसटी आरईजी-01** में पृथक् आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।
- (3) रजिस्ट्रीकरण के सत्यापन और प्रदान किए जाने से संबंधित नियम 9 और नियम 10 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस नियम के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन को लागू होंगे।"

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

अधिनियम के अधीन कर का संदाय करेंगे और यथास्थिति, ऐसी पूर्ति के लिए कर बीजक या प्रदाय का बिल जारी करेंगे।

स्पष्टीकरण – खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का कोई भी कारबार का स्थान जिसे पृथक रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उक्त व्यक्ति के अन्य सभी कारबार के स्थान उक्त धारा के अधीन कर संदाय के लिए अपात्र हो जाएंगे।

- (2) कारबार के स्थान के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने का चयन कर रहा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रत्येक कारबार के स्थान के संबंध में **प्ररूप जीएसटी आरईजी-01** में पृथक आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (3) रजिस्ट्रीकरण के सत्यापन और प्रदान किए जाने से संबंधित नियम 9 और नियम 10 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस नियम के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन को लागू होंगे।]